

# Form No. III

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)





मारवाड़ जंक्शन

संतोष वर्मा

बनाम

अंजली वर्मा

कसम मुकदमा सं. वा. अन्तर्गत धारा 88, 92A ..... य.का. अधिनियम 1955 प्र.सं. 227 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
25/7/18	<p>वकील वादी उपस्थित ।                      वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 88, 92A ..... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 12/11/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      मारवाड़ जंक्शन                 </p>	
12/11/18	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपर                      पत्रावली वाले इ-तजार सम्मन तलब                      आइन्दा दिनांक 19/12/18 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">                       SDOMJ                 </p>	
19/12/18	<p>पत्रावली पेश हुई                      आज पीठारीन अधिकारी महोदय                      अन्य कार्य से व्यस्त है/अग्रण पर है/                      बैठक में पधारते हुए है/आवकाश पर है                      अतः पत्रावली आइन्दा                      दिनांक 28/1/19 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">                       उप खण्ड अधिकारी एवं जजिस्ट्रेड                      मारवाड़ जंक्शन                 </p> <p>                     वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 88, 92A ..... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आइन्दा दिनांक ..... को पेश हो।                 </p> <p style="text-align: center;">                       उप खण्ड अधिकारी एवं जजिस्ट्रेड                      मारवाड़ जंक्शन                 </p>	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
<p>11/11/19</p> <p>Del 1 to 3 Under Section 14.</p> <p><i>(Signature)</i> (शास्त्रु नाथ)</p> <p>N.P 16/12/19</p>	<p>पतावली आज पेश हुई। वकील वादी उपा पुति. का. 1 से 3 की लक्ष ले अधिवक्ता अधिकारी दने से पतावली एवं वक्तासलनामा एवं पतावली दिया हेतु समझ चाहा है। अथर्व में समझ दिया जाकर पतावली आदेश दिनांक 16/12/19 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i> सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन</p> <p>पतावली आज पेश हुई। वकील वादी उपा वकील वादी एकादश प्रकरण को अगे नहीं चलाना चाहे है तथा प्रकरण को Not Press करने हेतु लिखित रिपोर्ट को ही वकील वादी के निवेदन को लीकर किया जाकर एकादश प्रकरण को वादी अधिवक्ता को वकालत के आधक पर प्रीथ Not Press करीज किया जात है। पतावली निरीत को जाकर गवर ले मम हो। निरीत आज दिनांक 16/12/19 को एका न्यायालय में सुनधा गया।</p> <p><i>(Signature)</i> सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन</p>	

